

निर्णय बईजलात श्री सिद्धार्थ सिंहाण आईएलएस जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
झालावाड(राजस्थान)

मिसल नं० ५० / प्रा०पत्र/१९

एयू स्मॉल फाईनेन्स लिमिटेड (जो पूर्व में एयू फाईनेन्सर्स(इण्डिया) लिमिटेड का नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-एधूलेस्वर गार्डन,अजमेर रोड जयपुर -302001 है।

बनाम

04. ओमप्रकाश जैन पुत्र हरिश कुमार (ऋणी/ बंधककर्ता)  
पता- मकान नं० 261, हाट चौक, भालता तहसील अकलेरा, झालावाड 326029  
दूसरा पता- पट्टा नं० 2465 खसरा नं० 1418 ग्राम भालता, पंचायत समिति बकानी
05. श्रीमति चंचल पत्नी ओम प्रकाश (सह-ऋणी)  
पता- मकान नं० 261, हाट चौक, भालता तहसील अकलेरा, झालावाड 326029
06. अनिल कुमार भण्डारी पुत्र गोपाल लाल भण्डारी (सह-ऋणी)  
पता- मकान नं० 379, भण्डारी की गली, भालता तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002

-: निर्णय :-

दिनांक 04.12.2019

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जयें अधिकृत प्रतिनिधि सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी 1 द्वारा वित्तीय संस्था से दिनांक 09.09.2017 को रुपये 4,00,000/- का ऋण लिया था व उक्त ऋण व उसके ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अवल सम्पत्ति पट्टा नं० 2465 खसरा नं० 1418 ग्राम भालता, पंचायत समिति बकानी, तहसील अकलेरा जिसका कुल क्षेत्रफल 1320 रक्बायर फीट व उस पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि को प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को नियमानुसार ऋण नहीं चुकाने पर दिनांक 28.02.2019 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया गया। प्रार्थी बैंक ने एन पी ए घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 20.05.2019 को नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 3,73,641/- दिनांक 20.05.2019 तक शेष है व आगे का ब्याज व अन्य आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के प्रकाने के अनुसार प्रार्थी सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। उपरोक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाया प्रार्थी बैंक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने का अनुरोध किया गया है।

सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अत्रलोकन किया गया। बैंक को ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 28.02.2019 को व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित किया गया है। ऋणी के विरुद्ध रुपये 3,73,641/- दिनांक 20.05.2019 तक शेष हैं तथा इसके बाद की ब्याज व अन्य खर्च हेतु उपरोक्तानुसार मांग की गई। उक्त राशि का भुगतान करने के लिये ऋणी जिम्मेदार है। ऋणी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की राशि का नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियम के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने तत्पश्चात भी मांग राशि का भुगतान ऋणी द्वारा नहीं किये जाने पर बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की धारा 14 के तहत बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफैसी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टी पश्चात जमानत स्वरूप बन्धक रखी गई सम्पत्ति को बैंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है- बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है व इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्तानुसार प्रा०पत्र के सलग्न शपथ को दृष्टिगत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा०पत्र प्रार्थी रक्षक किया जाता है। ऋण व बकाया रकम की अदायगी हेतु अप्रार्थी द्वारा बैंक में गिरवीकृत अचल सम्पत्ति पट्टा नं० 2465 खसरा नं० 1418 ग्राम भालता, पंचायत समिति बकानी, तहसील अकलेरा जिसका कुल क्षेत्रफल 1320 रक्बायर फीट, जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है पूर्व में घीसालाल परिवार का मकान, पश्चिम में दिनेश कुमार का मकान, उत्तर में आम रास्ता व दक्षिण में अजमेरी पिंजारा का मकान उक्त सम्पत्ति पर शांति पूर्वक मौक पर भौतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, झालावाड को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी इस बाबत पुलिस अधीक्षक, झालावाड से सम्पर्क कर ऋणी बैंक में गिरवीकृत सम्पत्ति का अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैंक व पुलिस अधीक्षक, झालावाड को पालनार्थ भिजवाई जावे। सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय की प्रति अप्रार्थी को भी भिजवाया जाना उचित होगा जिससे वह ऋण दाता से सम्पर्क स्थापित कर ऋण चुकता कर प्रकरण का निस्तारण करा सके, इसी क्रम में अप्रार्थी को इस आदेश से असन्तुष्ट होने की दशा में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु एक माह की अवधि प्रदान की जाती है जिसके पश्चात यह निर्णय प्रभावी हो जावेगा व प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अंतिम कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जांबा दासिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिंहाण)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
झालावाड  
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड